RIGHT TO INFORMATION

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/DR-HCIND/ 2499 **Indore, Dated 13/12/2018**

प्रेषक :

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर

प्रति :

श्री मुकेश कुमार वर्मा
S/o श्री गंगाराम वर्मा
व्यवसाय-नौकरी
R/o. ए.एस-55, एम.ओ.जी. लाईन
इन्दौर (म.प्र.)

विषयः– आपके व्दारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रस्तुत सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन आई0डी0क्रमांक 31/2018–2019 के निरस्तीकरण बाबद्।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र Form-A दिनांक–27/11/2018 आवक नंबर 3063 दिनांक 27/11/2018 आई.डी.नं.31/2018–2019, दि. 27/11/2018

....

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र के अंतर्गत आपके द्वारा निम्नानुसार जानकारी चाही गयी हैं :–

"एम.ए.नं.3291/2010 में तत्कालीन रीडर प्रमोद मण्डलोई की प्रारंभिक जॉच के रिपोर्ट की प्रतिलिपि"

आपके द्वारा उपरोक्त चाही गयी जानकारी के विषय में संबंधित शाखा से दिनांक 04/12/2018 को (06 पृष्ठों में) जानकारी दी गई हैं।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) व धारा 11 के अनुसार उपरोक्त जानकारी श्री प्रमोद मण्डलोई, तत्कालीन रीडर म0प्र0उच्च न्यायालय, खण्डपीठ– इन्दौर की व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित होने व जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होने से श्री प्रमोद मण्डलोई को इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देना व उन्हें प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाने हेतु श्री प्रमोद मण्डलोई को सूचना–पत्र जारी किया गया था व उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे दिनॉक 10–12–2018 को या इसके पूर्व व्यक्तिगत रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर या तो उनसे संबंधित उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी आपको देने बाबद अनापत्ति प्रस्तुत करे या प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसके पालन में श्री प्रमोद मण्डलोई ने अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनॉक 10–12–2018 को उपस्थित होकर मौखिक निवेदन व लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उनकी व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी आप श्री मुकेश वर्मा को प्रदान नहीं की जावे क्योंकि उपरोक्त सूचना व्यापक लोकहित में भी नहीं हैं, तथा उन्होनें आपके द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने बाबद प्रार्थना की थी।

Recd 13/12/18 O/c 13/12/18

निरन्तर...2 पर

तत्पश्चात् सूचना के अधिकार, 2005 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए आपको सूचना पत्र (जावक क्रमांक–2465 दिनांक–10/12/2018) को जारी कर दिनॉक–14/12/2018 तक आपका लिखित या मौखिक जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं श्री प्रमोद मण्डलोई द्वारा दिनांक 10/12/2018 को मौखिक तथा लिखित रूप से ली गई कड़ी आपत्ति के संबंध में बताया गया व उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व कड़ी आपत्ति की प्रतिलिपि प्रदान कर अवसर दिया गया तथा आपको दिनांक–14/12/2018 तक का समय इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आप श्री प्रमोद मण्डलोई से संबंधित उनकी निजी व गोपनीय जानकारी जो कि व्यापक लोकहित में भी प्रतीत नहीं होती है, क्यों चाहते है इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर बताए व लिखित में जवाब प्रस्तुत करे एवं ऐसा नहीं करते हैं तो मामलें में एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त सूचनापत्र के पालन में आपने **आवक क्रमांक–3188 दिनांक 12/12/2018** को लिखित अभ्यावेदन द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए वर्णित किया कि आप श्री प्रमोद मण्डलोई से संबंधित जो भी व्यक्तिगत– तृतीयपक्ष संबंधी जानकारी है वह इसलिये लेना चाहते है ताकि आप अपने प्रकरण में विभागीय जॉच हेतु मिले आरोप पत्र के जवाब में श्री मंडलोई का कार्य एवं आचरण बताना चाहते हैं।

आपके व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त जवाब का अध्ययन करने पर आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में किसी लोक क्रियाकलाप या व्यापक जनहित से सम्बन्ध होना प्रतीत नहीं होता हैं क्योंकि यह श्री प्रमोद मण्डलोई की निजी/गोपनीय जानकारी हैं।

इस संबंध में कार्यालय व्दारा आपके आवेदन पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पृष्ठांकन क्रमांक एड0/590–ए/1873 दिनॉक 04–12–2018 को 06 पृष्ठों की जानकारी प्रदाय कर सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार आपको जानकारी प्रदाय करने बाबद निर्देशित किया हैं, एवं कार्यालय व्दारा प्रदत्त उपरोक्त जानकारी के आधार पर आपको **"विविध अपील क्रमांक 3291/2010 में तत्कालीन रीडर श्री प्रमोद मण्डलोई की प्रारंभिक जॉच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि"** से संबंधित जानकारी आपको इसलिये प्रदान नहीं की जा सकती हैं क्योंकि स्थापना अनुभाग द्वारा दि. 04/12/2018 को दी गई जानकारी मे नोट क्र. (ग) के अनुसार विविध अपील क्र. 3291/2010 से संबंधित प्रकरण में श्री प्रमोद कुमार मण्डलोई के विरूद्ध विभागीय जांच संपादित की गई, किन्तु मुख्यपीठ से आदेश लंबित हैं।

अतः सूचना के अधिकार के अधिनियम के अनुसार आपको जानकारी प्रदान किया जाना व्यापक जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता हैं अतः आपका आवेदन निरस्त किया जाता हैं।

आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि आप इस विनिश्चय के विरूध्द आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हकदार हैं।

(राजेश कुमार शर्मा) 13/12/18
लोक सूचना अधिकारी सह डिप्टी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर